

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, संभागीय कार्यालय, रायपुर

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित चेकलिस्ट

केन्द्रीय विद्यालय का नाम – **भवानीपटना**

विद्यालय हिन्दी राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित किस क्षेत्र में स्थित है (क/ख/ग क्षेत्र) – ग क्षेत्र

विवरण	हाँ/ नहीं	यदि नहीं तो कारण	रिमार्क
1. क्या केन्द्रीय विद्यालय में कार्यरत 80प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यसाधक हिन्दी का ज्ञान है ?	हाँ		
2. राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के अंतर्गत अधिसूचित है अथवा नहीं ? यदि हाँ तो अधिसूचना की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्रेषित करें।	नहीं		
3. क्या सेवा पुस्तिकाओं में हिन्दी में सभी प्रविष्टियाँ की जा रही हैं ?	नहीं		कुछ की जाती है।
4. क्या विद्यालय में सभी मानकीकृत प्रारूप द्विभाषी रूप में प्रयोग में लाए जा रहे हैं ?	हाँ		
5. क्या नियमानुसार विज्ञापनों पर 50प्रतिशत की राशि हिन्दी विज्ञापनों एवं शेष 50प्रतिशत अंग्रेजी एवं अन्य भारतीय भाषाओं पर व्यय की जा रही है ?	नहीं	वि.वि.नि. में पर्याप्त राशि न होने के कारण	
6. कार्यालयों में प्रयुक्त रबड़ की समस्त मोहरें द्विभाषी हैं अथवा नहीं ?	नहीं		मात्र ०४ मोहरे द्विभाषी हैं।

7. क्या राजभाषा नियम 11 के अनुसार विद्यालय के सभी नामपट्ट द्विभाषी हैं ?	हाँ		
8. विद्यालय के समस्त कम्प्यूटरों पर राजभाषा हिन्दी में टंकण कार्य के लिए यूनिकोड एक्टिवेट हैं अथवा नहीं ?	हाँ		
9. क्या विद्यालय में प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की जाती है अथवा नहीं ?	हाँ		
10. नियमानुसार पुस्तकालय बजट में से संदर्भ एवं जर्नल की खरीद के खर्च को घटाने के पश्चात शेष बजट के 50प्रतिशत राशि का उपयोग हिन्दी पुस्तकों की खरीद के लिए किया गया है अथवा नहीं ?	हाँ		
11. क्या राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हिन्दी पत्राचार किया जा रहा है ? यदि हाँ तो हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत	१२ %		
12. राजभाषा नियम 8(4) के तहत जिन कार्मिकों को हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है उन्हें अपना कार्य हिन्दी में करने के लिए निर्देशित किया गया है अथवा नहीं ?	नहीं	निम्न वर्गीय लिपिक पदस्थापित नहीं है ।	
13. राजभाषा अधिनियम 3 (3) के अंतर्गत जारी समस्त दस्तावेज यथा सामान्य आदेश, निविदा, टिप्पणी, संकल्प करार, संविदाएँ द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं अथवा नहीं ?	नहीं		कुछ द्विभाषी में जारी किए जाते हैं ।

टिप्पणी :- उपरोक्त चेकलिस्ट के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्रों को ध्यान में रखते हुए ही सूचना प्रेषित करें ।

(बी. एन. दास)

दिनांक : ०३-११-२०१५